# FORM NO.111

फर्द अहकाम

**(नियम 26)**

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

महिपालसिंह बनाम करणसिंह वगै0

किस्म मुकदमा— इजराय मुकदमा नम्बर— 4 / 2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11.01.2023 | वकील डिक्रीदार श्री रघुनाथ सिंह एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 08.02.2023 को पेश हो।<br><br>दिलीप सिंह<br>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर | |
| 08.05.2024 | पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 1067 दिनांक 30.05.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।<br><br>अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल ... होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>( अनिल कुमार )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) | ऑनलाइन मिलान किया गया। आदेश की पालना ना.सं. 1067 दि. 30.5.23 द्वारा की गयी। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.05.09 17:16:51 IST
Reason: SelfAttested